141

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 2784-दो/2012 - विरूद्ध आदेश दिनांक 09-08-2012 - पारित व्दारा अपर कलेक्टर, जिला छतरपुर - प्रकरण क्रमांक 267/अ-3/2009-10 निगरानी

करिया पुत्र खंजुआ अहिरवार
ग्राम टोरिया तहसील बड़ामलेहरा
जिला छतरपुर मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

पुन्ना पुत्र खजुआ अहिरवार
ग्राम टोरिया तहसील बड़ामहेहरा
जिला छतरपुर मध्य प्रदेश ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री एम0पी0भटनागर)
(अनावेदक स्वयं उपस्थित)

आ दे श

(आज दिनांक 16-1-2017 को पारित)

यह निगरानी व्दारा - अपर कलेक्टर, छतरपुर व्दारा प्रकरण क्रमांक 278अ-3/09-10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 9-8-2012 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने तहसीलदार बड़ामलेहरा को प्रार्थना पत्र दिनांक 27-5-2000 प्रस्तुत कर मांग की कि उसके स्वत्व की ग्राम टोरिया स्थित भूमि सर्वे नंबर 90/2 रकबा 2.25 हैक्टर है जिसका वह नक्शा तरमीम कराना चाहता है नक्शा तरमीम किया जाय। तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 4 अ-3/ 99-2000 पंजीबद्ध किया तथा राजस्व निरीक्षक वृत्त बड़ा मलेहरा से स्थल की जॉच कराकर प्रतिवेदन प्राप्त किया एंव आदेश दिनांक 29-6-2000 पारित करके नक्शा तरमीम के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अपर कलेक्टर छतरपुर के समक्ष निगरानी क्रमांक 267 अ-3/2009-10 प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर छतरपुर ने पक्षकारों को श्रवण कर आदेश दिनांक 9-8-12 पारित किया तथा अनावेदक की निगरानी स्वीकार कर तहसीलदार का आदेश दिनांक 29-6-2000 निरस्त किया तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि भूमि आवंटन के प्रकरण में संलग्न नक्शा तथा मूल नक्शा एंव पूर्व में दिये गये कब्जे की पक्षकारों की उपस्थिति में जांच कर पुनः नक्शा तरमीम की कार्यवाही संपादित की जावे। अपर कलेक्टर के इसी आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने । अनावेदक स्वयं उपस्थित हुआ। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि उभय पक्ष की भूमि मध्य प्रदेश शासन से पटटे पर प्रदानकी गई भूमि है । निश्चित् है कि जब भूमि के पटटे उभय पक्ष को दिये

होंगे, मौके पर भूमि चिन्हित कराकर कब्जा दिया गया होगा। प्रकरण में यह तथ्य आया है कि आवेदक ने भूमि का नक्शा तरमीम होने के वाद अनावेदक से मौके पर जाकर कहा कि जिस भू भाग को आप जोत रहे हैं अब उसे वह जोतेगा। तब जांकर उसे तहसील में संपर्क करने पर नक्शा तरमीम होने का पता चला। अपर कलेक्टर व्दारा आदेश दिनांक 9-8-12 में निर्णीत किया है कि भूमि के बंटन के समय पटटे के साथ जारी किये गये नक्शे की प्रति एंव मूल प्रकरण में संलग्न नक्शा के अनुसार तरमीम की कार्यवाही तहसीलदार को करना चाहिये एंव पक्षकारों को मौके पर उपस्थित रहकर उनके सामने कार्यवाही करना थी, जो नहीं की गई, जिसके कारण पक्षकारों को न्यायदान की दृष्टि से अपर कलेक्टर छतरपुर ने आदेश दिनांक 9-8-12 से तहसीलदार के आदेश को निरस्त कर पक्षकारों के समक्ष नियमानुसार कार्यवाही कर नक्शा तरमीम करने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है जिसमें किसी प्रकार का दोष दिखाई नहीं देता है, क्योंकि पुर्नकार्यवाही में उभय पक्ष को तहसीलदार के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्राप्त है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव - अपर कलेक्टर, छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक 278 अ-3/09-10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 9-8-2012 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर